पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जानें

विधिक सहायता और सलाह

पुलिस सुधार : अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय

यह पुस्तिका **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.)** द्वारा **गृह मंत्रालय** के लिए **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** नामक श्रृंखला के एक भाग के रूप में तैयार की गयी है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

अवधारणा	:	श्रीमति माजा दारूवाला
विषय वस्तु और अनुसंधान समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
आलेख	:	सुश्री वसुधा रेड्डी
अनुसंधान दल	:	श्री अर्नव दयाल, श्री शुमो एस. चटर्जी
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट/अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डॉ. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
सहायक कर्मचारी	:	सुभाष कुमार पात्र, पलनी अजय बाबू
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

कमला और उसके परिवार के लोग एक निर्धन दिहाड़ी मजदूर थे, जो कमला नगर में काम करते थे। एक दिन उसकी लड़की रीमा को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रीमा को जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने उसे बताया कि इस मामले पर मुकदमा 6 सप्ताह के बाद शुरू होगा। कमला नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है – उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति अदालत की प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अतः कमला और रीमा ने नीता दीदी से मिलने और उनकी सहायता लेने का निर्णय लिया।

विधिक सहायता तुम्हारा अधिकार है

''नमस्ते दीदी, आप कैसी हैं?'' कमला ने कहा। ''मैं ठीक हूं, मुझे खुशी है रीमा की तुम हवालात से बाहर हो'', नीता ने कहा। ''हम इसी बारे में आपसे बात करने आए हैं दीदी'', कमला ने कहा। ''पुलिस ने हमें कहा कि हमारा मुकदमा 6 सप्ताह में शुरू होगा। हमारी हैसियत नहीं है कि हम एक वकील कर सकें। मालूम नहीं बगैर वकील के अदालत में हमारा क्या होगा?'' वह काफी तनाव में दिख रही थी।

''वकील के बारे में इतनी मत चिंता करो कमला। क्या तुमने विधिक सहायता के बारे में नहीं सुना है?'' नीता ने कहा। ''नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। **विधिक सहायता क्या है?''** कमला ने पूछा।

''जब किसी ऐसे व्यक्ति को वकीलों द्वारा निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है जो किसी मामले के लिए या अदालत में या न्यायाधिकरण या किसी ऐसे प्राधिकरण में किसी कानूनी कार्यवाही के लिए किसी वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है तो इसे विधिक सहायता कहते हैं। विधिक सहायता, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है'', नीता ने उत्तर दिया।

''वे तुम्हे विधिक सहायता किस प्रकार प्रदान करते हैं'', कमला ने पूछा। ''हां, विधिक सहायता में अभियुक्त को एक वकील की सेवा दी जाती है जो अदालत में उसका केस देखता है और उसकी सेवा के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाता है।'' उसने आगे कहा, ''विधिक सेवा प्राधिकरण सभी प्रकार के अदालती शुल्कों, किसी भी कानूनी कार्यवाही को तैयार करने और दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क, डिक्री, आदेश और अन्य कानूनी कागजात जैसे अदालती कागजात प्राप्त करने पर होने वाले किसी खर्च तथा दस्तावेज संबंधी किसी प्रकार के कार्य जैसे कि मुद्रण, अनुवाद आदि पर खर्च के लिए भी भुगतान करता है'', नीता ने बताया।

''विधिक सहायता प्राप्त करना अच्छा होगा..... परन्तु मुझे विधिक सहायता मिलेगा, यह कैसे पता चलेगा?'' रीमा ने पूछा।

''विधिक सहायता उन व्यक्तियों को निश्चित दी जाती है जो एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है क्योंकि वे काफी निर्धन हैं। यह संविधान के अनुसार दिया गया एक अधिकार है जो कहता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह विधिक सहायता प्रदान करे'', नीता ने उत्तर दिया। ''इसका अर्थ यह है कि यदि अभियुक्त एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं होता है तो अदालत को राज्य के खर्च पर अभियुक्त को अवश्य एक वकील की सेवा प्रदान करनी चाहिए।''

''वास्तव में विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसी समय शुरू हो जाता है जब अभियुक्त गिरफ्तार होता है। यदि उस व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है तो यह मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य होता है कि वह उस व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में बताए।'' उसने आगे बताया, ''यह पुलिस का भी कर्तव्य है कि वह नजदीकी विधिक सहायता समिति को उस अभियुक्त को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे जिसे पहली बार विधिक सहायता की आवश्यकता है और जब भी वह व्यक्ति पूछताछ के लिए लाया जाता है, यह सहायता दी जाती है।''

''अपील के मामले में क्या होता है, नीता दीदी?'' रीमा ने पूछा।

''प्रत्येक व्यक्ति अदालत के निर्णय पर अपील कर सकता है और इस प्रक्रिया में भी उसे विधिक सहायता की मांग करने का अधिकार है।'' नीता ने उत्तर दिया।

''नीता दीदी, मेरा एक प्रश्न है'', कमला ने कहा। ''किस व्यक्ति को यह सहायता मिल सकती है?''

''कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दस समूहों में से किसी भी समूह से संबंधित है, उसे विधिक सहायता मिल सकती है।'' नीता ने कहा। ''रीमा को विधिक सहायता मिल सकती है क्योंकि वह पहले तीन समूहों से संबंधित है जो इस प्रकार है :–

1. अभियुक्त महिला अथवा शिशु है।
2. अभियुक्त निर्धन है अर्थात् उच्चतम न्यायालय के मामले के लिए उसकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है और अन्य अदालतों के मामले में 25,000 रुपए से अधिक नहीं है।
3. अभियुक्त पर ऐसा आरोप है कि उसे कारावास की सजा हो सकती है।''

''अन्य आधार, जिस पर किसी व्यक्ति को विधिक सहायता मिल सकती है'', उसने आगे कहा, ''इस प्रकार हैं कि अभियुक्तः–

1. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति है
2. मानव दुर्व्यापार से पीड़ित है अथवा भिखारी है
3. मानसिक विकलांग सहित किसी भी प्रकार से विकलांग है
4. व्यापक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प, औद्योगिक आपदा, आदि का शिकार हैं
5. औद्योगिक कर्मकार/महिला कर्मकार हैं
6. वह हिरासत में है, जिसमें सुरक्षात्मक हिरासत शामिल है, तथा
7. निर्धनता के कारण तथा ऐसे जगह एकान्त में रखे जाने, जहां वह किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं रख सकता है, आदि के कारण वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है।''

व्यापक आपदा के शिकार विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं

''कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता दी जा सकती है, जैसे कि अत्यधिक लोक महत्व के मामलों तथा अन्य विशेष मामलों, जिन्हें उचित विधिक सेवा समझा जाता है।''

''मैं समझ गई, नीता दीदी। मैं जानना चाहती थी कि विधिक सेवा के

लिए किससे मिलना चाहिए?'' रीमा ने कहा। ''प्रत्येक ताल्लुक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण है जिससे विधिक सहायता की जरूरत वाला व्यक्ति मिल सकता है। इसके लिए निम्नलिखित को भी अनुरोध किया जा सकता है:–

1. मंडल अथवा ताल्लुक विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन के रूप में नाम – निर्देशित वरिष्ठ सिविल ज़ज।
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव।
3. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव।
4. उच्च–न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव।
5. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव।
6. मैजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष अभियुक्त को पेश किया जाता है।
7. यदि अभियुक्त को पुलिस द्वारा रोककर रखा गया है, तो हिरासत के अधिकारी, जैसे कि पुलिस'', नीता ने कहा।

''और दीदी हमें उनसे किस प्रकार मिलना चाहिए? वे कैसे यह निर्णय लेंगे कि रीमा को विधिक सहायता मिलनी चाहिए या नहीं?'' कमला ने पूछा।

''तुम्हें उन संबंधित अधिकारियों जिनका मैनें अभी–अभी उल्लेख किया, को लिखित आवेदन देना होता है तथा अपनी आय के संबंध में यह अधिकारिक घोषणा भी देनी होती है जिसे हलफनामा भी कहते हैं।'' नीता ने उत्तर दिया। ''परन्तु हम पढ़–लिख नहीं सकते, दीदी। हमें क्या करना

चाहिए?'' रीमा ने कहा।

अशिक्षि व्यक्तियों को भी सहायता प्रदान की जाती है

''अच्छा, **यदि कोई व्यक्ति पढ़ना या लिखना नहीं जानता है तो विधिक सेवा प्राधिकरण जिससे सम्पर्क किया गया है उस व्यक्ति का वक्तव्य रिकार्ड करेगा और इस पर अंगूठे का निशान लेगा'',** नीता ने बताया।

''उसके बाद क्या होता है?'' कमला ने पूछा। **''जिस प्राधिकारी से सम्पर्क किया गया है वह आवेदन और मामले के तथ्यों की जांच करता है।''** नीता ने बताया।

''वह किस प्रकार निर्णय लेते हैं कि मामले को अस्वीकृत किया जाए या नहीं?'' रीमा ने पूछा।

''कोई मामला अस्वीकृत किया जाता है यदिः–

किसी मामले को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने से कैसे अस्वीकार किया जाता है

1. आवेदक के पास पर्याप्त पैसे हैं और वह एक वकील की सेवा लेने में समर्थ है।
2. किसी भी पात्रता मादंड को पूरा नहीं करता है या
3. मामला कानूनी कार्यवाही के लिए उचित नहीं है'', नीता ने उत्तर दिया।

''क्या होता है जब आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है?'' कमला ने कहा।

''यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो अस्वीकार किए जाने का कारण रिकार्ड किया जाता है और आवेदक को सूचित किया जाता है। आवेदक को भी आवेदन अस्वीकृत किए जाने के खिलाफ प्राधिकरण के चेयरमैन के समक्ष अपील करने का अधिकार है।'' नीता ने उत्तर दिया।

''दीदी, यदि मुझे विधिक सहायता मिलती है तो क्या मुझे और भी कुछ करना होता है?'' रीमा ने पूछा।

''हां, **कुछ कर्तव्य हैं जिसका विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अवश्य निर्वहन करनी चाहिए। तुम्हें:–**

1. विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिए निदेशों का अनुपालन करना चाहिए।
2. समिति का कार्यालय,

विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य

अदालत या उनके लिए नियुक्त वकील के समक्ष जब भी आवश्यक हो उपस्थिति होना चाहिए।

3. अपने वकील को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए और
4. अपने वकील को किसी भी प्रकार का शुल्क या खर्च का भुगतान नहीं करनी चाहिए'', नीता ने कहा।

''क्या समिति चाहे तो दी गयी विधिक सहायता वापस ले सकती है?'' कमला ने पूछा।

''विधिक सेवा प्राधिकरण, तुम्हे दी गयी विधिक सहायता को मनमाने ढंग से वापस नहीं ले सकता है। परन्तु **विधिक सहायता वापस ली जा सकती है यदि** —

1. तुमने इसके लिए अपने आवेदन में झूठ कहा हो,
2. तुम एक वकील की सेवा लेने में समर्थ हो,
3. तुमने किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया हो,
4. तुम वकील के साथ सहयोग नहीं करती हो,

क्या किसी व्यक्ति को विधिक सहायता देनी बंद की जा सकती है

5. तुम एक अन्य वकील की सेवा लेती हो,
6. कानून की प्रक्रिया या वकील की सेवा का दुरुपयोग किया जा रहा है
7. तुम्हारी मृत्यु हो जाती है – यह सिर्फ आपराधिक मामले में लागू होता है न कि सिविल मामले में।'' नीता ने बताया।

''क्या वकील को हटाने के अलावा कोई और बात होती है जब विधिक सहायता वापस ली जाती है?'' कमला ने कहा। ''हां, कुछ बातें होती हैं। **यदि विधिक सहायता वापस ली जाती है, तो समिति, यदि चाहे तो आपसे आपको अब तक दी गयी विधिक सहायता के लिए भुगतान की मांग कर सकती है'',** नीता ने उत्तर दिया।

''काश! मुझे इस बात की पहले जानकारी होती, नीता दीदी'', रीमा ने कहा। ''क्या पुलिस ने तुम्हारे विधिक सहायता संबंधी अधिकार के बारे में तुम्हें नहीं बताया है?'' नीता ने पूछा। ''नहीं! उन्होंने मुझे कुछ नही बताया, सिर्फ यह कहा कि अदालत में मेरा मुकदमा 15 जून को शुरू होगा'', रीमा ने बताया।

''यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को विधिक सहायता प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में उसे बताए। ज्योंही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है पुलिस को विधिक सहायता समिति को अवश्य सूचित करनी चाहिए।'' नीता ने आगे कहा। **मैजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश को भी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो आर्थिक कमी के कारण वकील नहीं कर सकता, अवश्य यह बताना चाहिए कि उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।''**

''क्या होता है जब वकील के बगैर किसी व्यक्ति का मुकदमा शुरू होता है?'' कमला ने पूछा।

''यदि किसी निर्धन व्यक्ति के पास कोई वकील नहीं होता है तो मुकदमा अर्थहीन हो जाता है। इससे सजा भी हो सकती है'', नीता ने उत्तर दिया।

''क्या कोई और भी बात है जो तुम समझती हो आवेदन देने के पहले विधिक सहायता के बारे में हमें जाननी चाहिए?'' रीमा ने कहा।

''मैं तुम्हें कहना चाहती हूं कि **कुछ मामलों में विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है, जैसे कि–**

1. **अवमानना, प्रतिशोध की भावना से किए अभियोजन, अदालत की अवमानना, शपथ के बाद झूठ बोलने से संबंधित मामला**
2. **निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही**
3. **ऐसे मामले जिसमें लगाया गया जुर्माना 50 रुपए से अधिक नहीं है**
4. **आर्थिक अपराध और सामाजिक कानून के उल्लंघन का अपराध**
5. **ऐसा मामला जिसमे विधिक सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कार्यवाही से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है और यदि मामले में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उसका हित प्रभावित नहीं होगा।''**

''ओह! अब मैं समझ गयी, नीता दीदी। निःशुल्क विधिक सेवा संबंधी मेरे अधिकार के बारे में मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि यदि आप मुझे ये बातें नहीं बताती तो मेरा क्या होता'', रीमा ने कहा।

''यह ठीक है रीमा। मुझे भी खुशी है रीमा कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद कर सकी'', नीता ने कहा। ''जब तुम विधिक सहायता के लिए जाओ और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। धन्यवाद, हम तुम्हारे काफी आभारी होंगे यदि तुम आ सको'', कमला ने कहा। और इसके साथ मां और बेटी ने नमस्कार किया और अपने घर को गए।

होशियार पुर में कमला नगर के काफी निकट एक बहुत छोटे से गांव में, गांव के डाकधर में एक नोटिस चिपकाया गया था। इसमें कहा गया कि अगले 6 महीने में एक लोक अदालत स्थापित किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण इस बात को जानते हैं कि लोक अदालत न्यायालय के ही समान होता है परन्तु किसी को भी यह मालूम नहीं था कि वास्तव में यह क्या कार्य करेगा। अतः उन्होंने एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया और कमला नगर से दादाजी को उन्हें इस बारे में बताने के लिए बुलाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद दादाजी लोगों से डाकघर के पास मिले, जहां वे इक्ट्ठा हुए थे। जावेद, डाकिया उठा और दादाजी से पूछा, ''दादाजी आप हमें लोक अदालत के बारे में बता सकते हैं? हम सभी व्यक्तियों को इस बारे में अस्पष्ट सी जानकारी है कि यह क्या है?''

''लोक अदालत, न्यायालय जैसी एक निकाय है। इसकी स्थापना लोगों के बीच जो कि विवाद में शामिल है, विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए की जाती है'', दादाजी ने कहा। **''आम सिविल अदालत के समान वे भी सम्मन जारी कर सकते हैं, गवाहों की जांच आदि जैसे कार्य कर सकते हैं''**, उन्होंने बताया।

''क्या साधारण अदालत और लोक अदालत में कोई अन्तर है?'' सलमा ने पूछा।

''हां, लोक अदालत और साधारण अदालतों के बीच कुछ अन्तर है'', दादाजी ने कहा। ''पहली बात हालांकि लोक अदालत के आदेश किसी भी अन्य अदालत के आदेश के समान होते हैं, परन्तु इसमें लोग ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते है। दूसरी बात लोक अदालत, सभी मामलों को सुलझा सकता है सिवाय आपराधिक मामलों के जो अशमनीय है'', दादाजी ने आगे कहा।

''अशमनीय मामले क्या होते हैं?'' सलमा ने पूछा। दादाजी ने बताया ''ये ऐसे मामले हैं जिसमें दो लोगों के बीच समझौते संभव नहीं है। ऐसे मामले का उदाहरण है हत्या का प्रयास।''

''परन्तु लोक अदालत में कौन आवेदन कर सकता है?'' कमला ने पूछा।

''एक या दोनों लोग मामले को लोक अदालत में स्थानान्तरित करने के लिए अदालत में आवेदन दे सकते हैं'', दादाजी ने उत्तर दिया।

''क्या होता है जब लोक अदालत मामले को नहीं सुलझा पाती है?'' मज़ीद ने पूछा।

''जब लोक अदालत समझौता नहीं करा पाती या मामले को नहीं सुलझा पाती है तो इस मामले को साधारण अदालत में भेज दिया जाता है जो मामले को उस स्थान से शुरू करती है जहां तक लोक अदालत पहुंची है।'' दादाजी ने बताया।

''हमें यह सभी बातें बताने के लिए आपका शुक्रिया, दादाजी'', जावेद ने कहा। ''मुझे विश्वास है हम सभी अब लोक अदालत के मौलिक सिद्धांतों को समझ गए हैं।''

इस पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय

मानवाधिकार विभाग

भारत सरकार